

/184948/2024

Signed by Hari Chandra
Semwal
Date: 25-01-2024 13:27:40

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

संख्या—१४५५७
(1)/XVII/2024-2(02)/2009 TC-17263 तददिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मारु मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मारु विभागीय मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिव / अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. उप सचिव / अनु सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
12. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एनोआईसी०, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव।

/184948/2024

संख्या: १४५५८ / XVII(4)/2024-02(02)/2009-TC-17263

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग-1, देहरादून: दिनांक २५ जनवरी, 2024

विषय— “नन्दा गौरा योजना” के संचालन हेतु निर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1331/नन्दा गौरा यो-6033/2023-24 दिनांक 15.07.2023 में किये गये अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-144121/XVII(4)/2023-02/2009-TC-17263 दिनांक 07.08.2023 के प्रस्तर-04 में उल्लिखित चयन समिति में “जनपद-स्तरीय समिति आय प्रमाण-पत्र सहित संलग्न प्रारूप में दिये गये विवरण के आधार पर पात्र लाभार्थी की अहता का निर्धारण करेगी, यदि समिति को प्रतीत होता है कि लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्रारूप में दिये गये विवरण के समतुल्य नहीं है अर्थात् उस परिवार की आय की स्थिति का आंकलन आय प्रमाण-पत्र में दी गई आय एवं प्रारूप में दिये गये विवरण से भिन्नता प्रतीत होती है तो समिति लाभार्थी की पात्रता के संबंध में निर्णय करने हेतु स्वतंत्र होगी” को उक्त शासनादेश के प्रस्तर-04 में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2— इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-144121/XVII(4)/2023-02/2009-TC-17263 दिनांक 07.08.2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्तें यथावत रहेगी।

3— नंदा गौरा योजना के लाभ हेतु संलग्न प्रारूप-01 (जन्म पर), प्रारूप-02 (12वीं उत्तीर्ण के लाभ हेतु) एवं प्रारूप-03 (उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृहों में पलने वाली 12वीं उत्तीर्ण बालिका) पर आवेदन प्राप्त किये जाए।

तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करते हुए उपर्युक्त उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

/184948/2024

नन्दा गौरा योजना का प्रारूप
(महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड)

प्रारूप-01**जन्म के लाभ प्राप्त करने हेतु आवदेन पत्र**

1. - कन्या शिशु का नाम :— (कन्या का नाम परिवर्तित होने पर शपथ पत्र देना अनिवार्य है)
2. - पिता का नाम :— श्री.....
3. - माता का नाम :— श्रीमती.....
4. - माता-पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का नाम:.....
5. - कन्या शिशु का स्थाई निवास (ग्राम/वार्ड) :—
6. - परिवार के सदस्यों का विवरण :—

क्र0सं0	सदस्यों का नाम	कन्या से सम्बन्ध	व्यवसाय/शिक्षा	आधार कार्ड नम्बर	मोबाइल नम्बर

- 7 - परिवार के अध्ययनरत सदस्यों (भाई-बहनों) का विवरण :—

क्र0सं0	सदस्यों का नाम	स्कूल/कालेज का नाम जहाँ अध्ययनरत हैं।	स्कूल/कालेज की कुल वार्षिक फीस

8. - कन्या की जन्म तिथि – दिनांक माह वर्ष
9. - जन्म पंजीकरण संख्या :—
10. - प्रसव कहाँ करवाया गया :— (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र/अन्य चिकित्सालय/प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा/शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिनका प्रसव संस्थागत नहीं हुआ है, के संबंध में संबंधित नगर निकाय / VPDO/ADO/पंचायत द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाण पत्र)
11. - पिता का व्यवसाय/कार्य का विवरण:— (सरकारी सेवा/निजी क्षेत्र में सेवा/कृषि कार्य/स्वयं का व्यवसाय/अन्य कार्य का विवरण) :—
- 11.(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर विगत 03 वर्षों में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या.....
12. - माता का व्यवसाय:— (सरकारी सेवा/निजी क्षेत्र में सेवा/कृषि कार्य/स्वयं का

व्यवसाय / गृहणी / अन्य कार्य का विवरण) :—

12.(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर विगत 03 वर्षों में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या

13. - माता-पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का व्यवसाय / कार्य का विवरण (सरकारी सेवा / निजी क्षेत्र में सेवा / कृषि कार्य / स्वयं का व्यवसाय / अन्य कार्य का विवरण) :—.....

13.(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर विगत 03 वर्षों में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या

14. - कन्या शिशु के परिवार की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र के आधार पर) रु0.....
..... सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक :.....दिनांक....
.....

15. - माता पिता के जीवित न हाने की स्थिति में अभिभावक के परिवार की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र के आधार पर) रु0..... सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक :.....दिनांक.....

16. - माता एवं पिता का पैन कार्ड नम्बर:— पिता का पैन कार्ड..... माता का पैन कार्ड.....

17. - माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का पैन कार्ड नम्बर.....
.....

18. - माता / पिता अथवा अभिभावक (माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक) की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण—
अचल सम्पत्ति का विवरण—

बालिका के परिवार के पास उपलब्ध भूमि का प्रकार(रजिस्ट्री/पट्टे की भूमि).....
.....

बालिका के परिवार के पास उपलब्ध आवासीय भूमि का प्रकार(रजिस्ट्री/पट्टे/किराया).....

बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कुल कृषि/आवासीय भूमि का क्षेत्रफल—.....
..... अनुमानित वर्तमान मूल्य..... (अभिलेखों की प्रति संलग्न करें)

आवास का विवरण—कच्चा/पक्का..... कक्षों की संख्या..... एरिया..... अनुमानित वर्तमान मूल्य.....

(नगरीय / ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर का विवरण की प्रतिलिपि संलग्न करें)

नोट—यदि आवेदक उत्तराखण्ड के किसी अन्य जनपद से हो तो वहाँ की भी समस्त अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण।

चल सम्पत्ति का विवरण—

परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक खातों का विवरण—

क्र0सं0	सदस्यों का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	कुल जमा धनराशि (विगत एक वर्ष में)

(अभिलेख की प्रति संलग्न करें—बैंक पासबुक की प्रति/विगत 01 वर्ष के बैंक स्टेटमैन्ट की प्रति)

परिवार के समस्त वाहन का विवरण—

वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेशन नम्बर	अनुमानित मूल्य	अन्य विवरण(सदस्य का नाम जिसके नाम से वाहन पंजीकृत है)

19. - सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में परिवार की स्थिति का विवरण (स्वतः सम्मिलित / सम्मिलित नहीं)(प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
 20. - परिवार की अन्य बालिकाओं का विवरण जिनके द्वारा पूर्व में जन्म होने पर योजना का लाभ लिया गया है—

बालिका का नाम	बालिका की आयु	बालिका का आधार नम्बर	लाभ प्राप्त करने का वर्ष

21. - माता/पिता/संरक्षक एवं कन्या शिशु का संयुक्त खाता संख्या.....
 बैंक का नाम एवं शाखा..... आई.एफ.एस.सी.
 कोड.....

मैं, प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा “नन्दा गौरा योजना” के तहत समयान्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सही हैं तथा भविष्य में होने वाली किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना हेतु मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। “नन्दा गौरा योजना” के कन्या शिशु का लाभ (जन्म वाला लाभ) प्राप्त करने वाली यह मेरी प्रथम/द्वितीय (सही पर टीक करें) बालिका है। उक्त बालिका हेतु योजना के लाभ हेतु मेरे द्वारा प्रथमबार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपरोक्त सूचनाएँ गलत/झूठी पाये जाने पर विभाग द्वारा भारतीय दण्ड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आपराधिक वाद दायर किया जा सकता है।

हस्ताक्षर

अभिभावक का नाम

दिनांक :—

मोबाइल न0 —.....

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाणित अभिलेखों की प्रति का विवरण (जो लागू हो) —

1. - स्थाई निवास प्रमाण पत्र	2. - परिवार रजिस्टर की नकल
3. - राशन कार्ड की प्रति।	4. - संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र
5. - जन्म पंजीकरण का प्रमाण पत्र	6. - आय प्रमाण पत्र

/184948/2024

7. - माता एवं पिता/सरकार के आधार कार्ड	8. - नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाने वाला मकान सम्पत्ति कर (प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)
9. - माता एवं पिता/सरकार का ऐन कार्ड	10. - आँगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र
11. - मातृशिशु प्रतिरक्षण/एम०सी०पी० (टीकाकरण) कार्ड	12. - माता/पिता/सरकार की पासबुक/चैक स्टेटमेंट की छायाप्रति जहाँ पर खाता संख्या अकित हो।
सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में परिवार की स्थिति के आंकलन की प्रति।	13. - शासनादेशानुसार योजना का लाभ केवल 02 बालिकाओं हेतु ही अनुमत्य है इसलिये आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में जन्म होने पर योजना का लाभ दिये जाने/न दिये जाने विषयक शपथ-पत्र।
14. - अन्य आवश्यक अभिलेख-बिजली एवं पानी बिलों की प्रति आदि।	15. मनरेगा जॉब कार्ड

नोट—माता/पिता दोनों के जीवित नहीं होने की स्थिति में कन्या शिशु के वैद्य सरकार के अभिलेख मान्य होंगे।

:: आँगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमतीपत्नी श्री.....
निवासी.....को मेरे आँगनबाड़ी केन्द्र.....
परमाह की गर्भवती के रूप में दिनांक;
 पंजीकृत किया गया है, जिसकी पंजीकरण संख्या.....है। इन्हें आँगनबाड़ी केन्द्र पर
 मिलने वाले समस्त लाभ यथा टीकाकरण, अनुपूरक पोषाहार, सन्दर्भ सेवायें प्रदान की जा रही
 हैं। इनके द्वारा दिनांकको कन्या शिशु को जन्म दिया है। यह इनकी “नन्दा
 गौरा योजना” के लाभ प्राप्त करने वाली प्रथम/द्वितीय बालिका (सही पर टिक करें) है। उक्त
 बालिका योजना के लाभ हेतु इनके द्वारा प्रथमबार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त मेरे द्वारा सम्बन्धित अभिभावक/संरक्षक की चल—अचल सम्पत्ति का परिवार के विगत 03 बार के बिजली के बिलों एवं परिवार के विगत 01 बार के पानी के बिल का विवरण सहित स्थलीय निरीक्षण किया गया है जिसके अनुसार सम्बन्धित का घर.....(कच्चा/पक्का) है जिसके भूखण्ड का क्षेत्रफल.....है। जिसमें
कक्ष हैं तथा घर परदुपहिया.....चौपहिया.....वाहन हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आँगनबाड़ी कार्यकर्ती/मिनी कार्यकर्ती/सहायिका का नाम

आँगनबाड़ी केन्द्र का नाम —.....

मोबाइल न0 —.....

सुपरवाईजर की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र.....
 की पंजीकरण पंजिका से लाभार्थी की/समस्त सूचनाओं का मिलान कर लिया गया है।
 आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित।

दिनांक हस्ताक्षर.....
 सुपरवाईजर का नाम
 सैक्टर—
 परियोजना—
 क्षेत्र का नाम —
 मोबाइल न0 —

बाल विकास परियोजना अधिकारी की जाँच आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी पुत्री श्री
 पता के द्वारा प्रस्तुत आवेदन –पत्र व
 जाँच की गई।

आवेदक द्वारा वर्णित मकान/भू-सम्पत्ति/बैंक विवरण आदि के परीक्षण उपरान्त आवेदक पात्रता की श्रेणी में आता है। अतः “नन्दा गौरा योजना” के अन्तर्गत इनको लाभान्वित किये जाने की संस्तुति की जाती है। जिसका अंकन “नन्दा गौरा योजना” की पंजिका के पृष्ठ संख्या पर अंकित कर लिया गया है।

या

जाँच उपरान्त आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। अतः ‘नन्दा गौरा योजना’ के अन्तर्गत इनको लाभान्वित नहीं किया जा सकता है।
 लाभान्वित न किये जाने के कारण.....

दिनांक.....
 हस्ताक्षर.....
 बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम
 क्षेत्र का नाम —
 मोबाइल न0 —

प्रारूप-02 कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए

लाभार्थी का नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

1. - छात्रा का नाम :—
2. - छात्रा की जन्म तिथि:- वर्तमान आयु.....
3. - पिता का नाम :- श्री.....
4. - माता का नाम :- श्रीमती.....
5. - आवेदक छात्रा सहित छात्रा के अन्य भाई/बहनों का विवरण :—

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	आयु	आवेदक से संबंध	शैक्षिक अर्हता का विवरण 10th तक के 12th के स्नातक के स्नातकोत्तर	यदि वर्तमान में
-------------	-----------------	-----	-------------------	---	--------------------

				विद्यालय का नाम	विद्यालय का नाम	कॉलेज का नाम	के कॉलेज का नाम	नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। (पूर्ण विवरण)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6. - परिवार के अध्ययनरत सदस्यों (भाई—बहनों) का विवरण :—

क्र0सं0	सदस्यों का नाम	स्कूल/कालेज का नाम जहाँ अध्ययनरत हैं।	स्कूल/कालेज की कुल वार्षिक फीस

7. - पिता का व्यवसाय/कार्य का विवरण:— (सरकारी सेवा/निजी क्षेत्र में सेवा/कृषि कार्य/स्वयं का व्यवसाय/अन्य कार्य का विवरण) :—

7(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर.....विगत 03 वर्षों में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या.....

8. - माता का व्यवसाय:—(सरकारी सेवा/निजी क्षेत्र में सेवा/कृषि कार्य/स्वयं का व्यवसाय/गृहणी/अन्य कार्य का विवरण) :—

8(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर.....विगत 03 वर्षों में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या

9. - माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अविभावक का नाम.....

10. - माता—पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का व्यवसाय/कार्य का विवरण (सरकारी सेवा/निजी क्षेत्र में सेवा/कृषि कार्य/स्वयं का व्यवसाय/अन्य कार्य का विवरण) :—.....

10(1) ग्रामीण क्षेत्र की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड नम्बर.....विगत 03 वर्षों में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या

11. - इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष.....स्कूल का नाम.....

..... बोर्ड का नाम.....(प्रमाण—पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

(अ) इण्टर उपरान्त उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश का विवरण:(यदि प्रवेश लिया गया है, तो)

12. - (क) छात्रा का रस्थाई पता

(ख) पत्र व्यवहार का पता

(ग) आधार से लिंक मोबाईल नं.....

13. - बालिका के परिवार की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र के आधार पर) रु0.....

सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक :दिनांक.....

14. - माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक के परिवार की वार्षिक आय (आय प्रमाण पत्र के आधार पर) रु0.....सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक:.....दिनांक.....
15. - माता एवं पिता का पैन कार्ड नम्बर:—पिता का पैन कार्ड.....माता का पैन कार्ड.....
16. - माता—पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक का पैन कार्ड नम्बर.....

17. - माता—पिता अथवा अभिभावक(माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में अभिभावक) की चल—अचल सम्पत्ति का विवरण—
अचल सम्पत्ति का विवरण—

बालिका के परिवार के पास उपलब्ध भूमि का प्रकार(रजिस्ट्री/पट्टे की भूमि).....

बालिका के परिवार के पास उपलब्ध आवासीय भूमि का प्रकार(रजिस्ट्री/पट्टे/किराया).....

बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कुल (कृषि/आवासीय) भूमि का क्षेत्रफल—.....
.....अनुमानित वर्तमान मूल्य.....(अभिलेख संलग्न करें)
आवास का विवरण—कच्चा/पक्का.....कक्षों की संख्या.....एरिया.....वर्तमान मूल्य.....

(नगरीय/ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कर का विवरण की प्रतिलिपि संलग्न करें)

नोट—यदि आवेदक उत्तराखण्ड के किसी अन्य जनपद से हो तो वहाँ की भी समस्त अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण।

चल सम्पत्ति का विवरण—

परिवार के समस्त बैंक खातों का विवरण—

क्र0सं0	सदस्यों का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	कुल जमा धनराशि (विगत एक वर्ष में)

(अभिलेख की प्रति संलग्न करें—बैंक पासबुक की प्रति/विगत 01 वर्ष के बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति)

वाहन का विवरण—

वाहन का प्रकार	संख्या	अनुमानित मूल्य	सदस्य का नाम जिसके नाम से वाहन पंजीकृत है	अन्य विवरण

--	--	--	--	--

18. - सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में परिवार की स्थिति का विवरण (स्वतः समिलित / समिलित नहीं)(प्रमाण—पत्र संलग्न करें)
19. - आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं का विवरण जिनके द्वारा पूर्व में 12वीं उत्तीर्ण होने पर योजना का लाभ लिया गया है—

बालिका का नाम	बालिका की आयु	बालिका का आधार नम्बर	लाभ प्राप्त करने का वर्ष

20. - छात्रा का पैन नम्बर.....
21. - छात्रा का आधार से लिंक खाता संख्या..... बैंक का नाम एवं शाखा..... IFSC कोड.....
22. - छात्रा अविवाहित है का स्वयं प्रमाणित प्रमाण—पत्र:—.....
.....

माता/पिता/अभिभावक की घोषणा

मैं, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि “नन्दा गौरा योजना” के 12वीं उत्तीर्ण का लाभ प्राप्त करने वाली यह मेरी प्रथम/द्वितीय (सही पर टीक करें) बालिका है। उक्त योजना के लाभ हेतु मेरे द्वारा प्रथमबार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तथा उपरोक्त बिन्दुओं पर दी गई जानकारी सत्य है। यदि इनमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है, तो मेरी पुत्री का आवेदन—पत्र निरस्त कर दिया जाय। इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्त सूचनाएँ गलत/झूठी पाये जाने पर विभाग द्वारा भारतीय दण्ड विधान की सक्षम धाराओं में मेरे विरुद्ध आपराधिक वाद दायर किया जा सकता है।

हस्ताक्षर एवं नाम
दिनांक :— पता—.....

छात्रा की घोषणा

मैं, घोषणा करती हूँ कि मेरे माता/पिता/अभिभावक द्वारा “नन्दा गौरा योजना” के लाभ हेतु प्रस्तुत समस्त सूचनाओं के आधार पर आवेदन किया जा रहा है।

दिनांक :—

छात्रा के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाणित अभिलेखों की प्रति का विवरण –

1. - बालिका का स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
2. - आय प्रमाण पत्र।
3. - कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
4. - जन्म तिथि प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल का प्रमाण—पत्र।

5. - परिवार रजिस्टर की नकल।
6. - माता एवं पिता/अभिभावक तथा बालिका का आधार कार्ड।
7. - माता एवं पिता/अभिभावक तथा बालिका का पैन कार्ड।
8. - आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र।
9. - अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र (स्वयं द्वारा प्रदत्त)
10. - शासनादेशानुसार योजना का लाभ 02 बालिकाओं हेतु ही अनुमन्य है इसलिये आवेदित बालिका के परिवार की अन्य बालिकाओं को पूर्व में 12वीं उत्तीर्ण होने पर योजना का लाभ दिये जाने/न दिये जाने विषयक शपथ-पत्र।
11. - लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति।
12. - प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण-पत्र।
13. - राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय/अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति।
14. - उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति।
15. - अन्य आवश्यक अभिलेखों—यथा बिजली एवं पानी के बिलों की प्रति आदि।
16. - सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)में परिवार की स्थिति के आंकलन की प्रति।

:: प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण ::(केवल संस्थागत छात्रा के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिका सुश्री.....पुत्री श्री.....
..... के द्वारा वर्षमें कक्षा 12वीं की परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की गयी है।

दिनांक –

प्रधानाचार्य के

हस्ताक्षर

विद्यालय की मुहर –

प्रधानाचार्य का

नाम—

:: आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री.....पुत्री श्री.....
..... निवासी.....का परिवार मेरे आंगन केन्द्र क्षेत्र के, सर्वे रजिस्टर के क्रमांकपर अंकित है। यह इनकी “नन्दा गौरा योजना” के लाभ प्राप्त करने वाली प्रथम/द्वितीय बालिका (सही पर टिक करें) है। उक्त योजना के लाभ हेतु इनके द्वारा प्रथमबार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

नन्दा गौरा योजना अन्तर्गतकिश्त में लाभान्वित होने हेतु रजिस्टर में इनका नाम अंकित कर लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त मेरे द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी/लाभार्थी के अभिभावक/संरक्षक की चल-अचल सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण परिवार के विगत 03 बार के बिजली के बिलों एवं परिवार के विगत 01 बार के पानी के बिल के विवरण सहित स्थलीय निरीक्षण किया गया है जिसके अनुसार सम्बन्धित लाभार्थी का घर.....
.....(कच्चा/पक्का) है, जिसके भूखण्ड का क्षेत्रफल.....है। जिसमें.....कक्ष हैं तथा लाभार्थी घर परदुपहिया.....चौपहिया..... वाहन हैं।

दिनांक.....

/184948/2024

हस्ताक्षर.....
 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/मिनी कार्यकर्त्री/सहायिका का नाम
 आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम –
 मोबाइल न0 –
 जनपद –

सुपरवाईजर की संस्तुति

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र.....की पंजीकरण पंजिका से लाभार्थी की/समस्त सूचनाओं का मिलान कर लिया गया है। आवेदन पत्र संस्तुति सहित अग्रसारित।

दिनांक.....
 हस्ताक्षर.....
 सुपरवाईजर का नाम
 सैक्टर –
 परियोजना –
 क्षेत्र का नाम –
 मोबाइल न0 –

बाल विकास परियोजना अधिकारी की जांच

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री.....पुत्री श्रीपताके द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र की जांच की गई आवेदक तथा उसके अभिभावक द्वारा वर्णित मकान/भू–सम्पत्ति/बैंक विवरण के परीक्षण उपरान्त आवेदक पात्रता की श्रेणी में आता है, अतः नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत इनको लाभान्वित किये जाने की संस्तुति की जाती है। जिसका अंकन “नन्दा गौरा योजना” की पंजिका के पृष्ठ संख्यापर अंकित कर लिया गया है।

या

जांच उपरान्त आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत इनको लाभान्वित नहीं किया जा सकता है।
 लाभान्वित न किये जाने के कारण.....

दिनांक.....
 हस्ताक्षर.....
 बाल विकास परियोजना अधिकारी का नाम
 मोबाइल न0 –
 परियोजना कार्यालय की मुहर –

लाभार्थी का नवीनतम पासपॉर्ट साईज
फोटो

प्रारूप-03

कक्षा-12वी उत्तीर्ण छात्राओं के लिए
(उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन,
अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा सहायतित
अन्य गृहों में पलने वाली)

1. - छात्रा का नाम :—
2. - छात्रा की जन्म तिथि:—आयु.....
3. - पिता का नाम (यदि उपलब्ध हो तो):— श्री.....
4. - माता का नाम (यदि उपलब्ध हो तो):— श्रीमती.....
5. - इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का वर्ष.....स्कूल का नाम.....
.....
बोर्ड का नाम.....(प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न क
(अ) इंटर उपरान्त उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश का विवरण:(यदि प्रवेश लिया
गया है, तो)
6. - (क) छात्रा का पता
.....
(उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित बालिका निकेतन, नारी निकेतन, अनाथ आश्रम, उत्तराखण्ड
राज्य सरकार द्वारा सहायतित अन्य गृह का पता)
(ख) संस्था का सम्पर्क दूरभाष नम्बर.....
.....
7. - छात्रा का पैन नम्बर.....
8. - छात्रा का आधार से लिंक खाता संख्या..... बैंक का
नाम एवं शाखा..... IFSC कोड.....
9. - छात्रा अविवाहित है विषयक स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र की प्रति :—.....
.....
10. - संस्था को अनुदान किस स्त्रोत से प्राप्त होता है के विवरण की प्रति (साक्ष्यों सहित).....
.....

/184948/2024

घोषणा पत्र
(संस्था के मुखिया/संचालक द्वारा)

मैं, घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित बालिका के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दी गई समर्त जानकारी मेरे संज्ञान में सत्य हैं तथा इसमें किसी भी तथ्य को किसी भी प्रकार से छुपाया नहीं गया है। भविष्य में किसी भी तथ्य के गलत पाये जाने की दशा में मैं “नन्दा गौरा योजना” से प्राप्त धनराशि को ब्याज सहित वापस करने हेतु बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

उपरोक्त में कोई सूचना गलत/झूठी पाये जाने पर विभाग द्वारा मेरे/संस्था के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की सक्षम धाराओं के अन्तर्गत आपराधिक वाद दायर किया जा सकता है।

दिनांक :— संस्था के मुखिया/संचालक के हस्ताक्षर

सहमति पत्र
(सम्बन्धित छात्रा द्वारा)

मैं, घोषणा करती हूँ कि “नन्दा गौरा योजना” के लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त आवेदन—पत्र मेरी सहमति के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक :— छात्रा के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाणित अभिलेखों की प्रति का विवरण —

1. - कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
2. - जन्म तिथि प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल का प्रमाण—पत्र।
3. - आधार कार्ड।
4. - पैन कार्ड।
5. - अविवाहित होने का प्रमाण—पत्र (स्वयं द्वारा प्रदत्त)।
6. - लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति।
7. - प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12 उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र।
8. - राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय/अन्य शिक्षण संस्थान से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली आवेदिका द्वारा स्वप्रमाणित अंक पत्र की छायाप्रति।
9. - उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति।
10. - संस्था की अधीक्षिका द्वारा जारी प्रमाण—पत्र।
11. - अन्य आवश्यक अभिलेखों की प्रति।

:: प्रधानाचार्य द्वारा अप्रसारण ::(केवल संस्थागत छात्रा के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिका सुश्री.....पुत्री
 श्री/श्रीमति(यदि उपलब्ध है तो)..... के द्वारा वर्षमें कक्षा 12वीं की परीक्षा संस्थागत छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की गयी है।

दिनांक — प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

विद्यालय की मुहर –

प्रधानाचार्य का नाम–

॥ संस्था की अधीक्षिका द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण पत्र ॥

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री.....पुत्री / श्रीमति(यदि उपलब्ध है तो).....हमारी संस्था के रिकार्ड रजिस्टर के क्रमांकपर अंकित है। उक्त के अतिरिक्त मेरे द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी के सम्बन्ध में प्रस्तुत जानकारी सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

अधीक्षिका का नाम
संस्था का नाम –.....
सम्पर्क दूरभाष नं0 –.....
जनपद –

जिला प्रोबेशन अधिकारी की जांच

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री.....पुत्री श्री / श्रीमति(यदि उपलब्ध है तो).....संस्था का पूर्ण पता
दिनांक.....से निवासरत है, के द्वारा प्रस्तुत आवेदन—पत्र की जांच की गई।

आवेदिका एवं संस्था द्वारा उक्त उपलब्ध कराये गये आवेदन—पत्र के विवरण के परीक्षण उपरान्त आवेदिका पात्रता की श्रेणी में आती है, अतः नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत इनको लाभान्वित किये जाने की संस्तुति की जाती है। जिसका अंकन जिला प्रोबेशन कार्यालय की “नन्दा गौरा योजना” की पंजिका के पृष्ठ संख्यापर अंकित कर लिया गया है।

या

जांच उपरान्त आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है, अतः नन्दा गौरा योजना के अन्तर्गत इनको लाभान्वित नहीं किया जा सकता है।
लाभान्वित न किये जाने के कारण.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

जिला प्रोबेशन अधिकारी का नाम
जनपद का नाम.....
मोबाइल नं0 –.....
जिला प्रोबेशन कार्यालय की मुहर—